राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 17(1)साप्र/2/2015 जयपुर, दिनांक 28/9/2016

–: आदेश :–

श्री क्षितिज विजय, सूचना सहायक, सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग, योजना भवन, जयपुर जिनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता संख्या 12/2015 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.5.2050 है, को राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 18 (राज्यादेश) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके पिता श्री नन्द किशोर विजय, सहायक शासन सचिव (सेवानिवृत्त), वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को आवंटित राजकीय आवास संख्या एफ–716, गांधीनगर, जयपुर का उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.8.2016 को होने से उक्त आवास का आवंटन उनके पुत्र (श्री क्षितिज विजय) को आउट ऑफ टर्न नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तो पर एतद्द्वारा आवंटित किया जाता है :–

शर्तें:–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी–चूंकि उक्त अधिकारी/कर्मचारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवासय के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नही किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
7. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
8. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग–खण्ड–तृतीय/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग /जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें।
10. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
12. रक्षित पत्रावली।

(राजकुमार शर्मा)
सहायक शासन सचिव